



F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 921 का नवीकरण/Renewal of Type Approval No. 921

विषय/Sub: एम्प्लिफायर यूनिट, पार्ट सं. 1697 00 000 / Amplifier Unit, Part No. 1697 00 000

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, असेसरीज़ प्रभाग, पी.बी.सं. 215, बाराबंकी रोड, लखनऊ - 226 016, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित " एम्प्लिफायर यूनिट " पार्ट सं. 1697 00 000 को संदर्भ सं. सेमिलेक/5070/टीए-921, दिनांक 14 जुलाई 2001, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 921 जारी किया गया था तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलेक/5070/टीए-921-2आर, दिनांक 31 अगस्त 2009 द्वारा नवीकरण किया गया था जो कि 30 जून 2014 तक वैध था।

This is to state that the "Amplifier Unit", bearing Part No. 1697 00 000 is designed, developed and manufactured by M/s. Hindustan Aeronautics Limited, Accessories Division, P.B. No. 215, Barabanki Road, Lucknow - 226 016, was issued with Type Approval No. 921 vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-921, dated: 14th July 2001 and was subsequently Renewed vide Ref. No. CEMILAC/ 5070/ TA-921-2R, dated: 31st August 2009 and was valid upto 30th June 2014.

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 अगस्त 2014 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2019 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए(लखनऊ), सेमिलेक, बाराबंकी रोड, लखनऊ - 226 016, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 01st August 2014 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st December 2019 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lucknow), CEMILAC, Barabanki Road, Lucknow - 226 016, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause. All other terms & conditions stipulated in the Type Approval Certificate remain unaltered.

सं./No. : सेमिलेक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 921/3R

दिनांक/Date : 16 September 2014

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

(पी.आर.बगेल वै.जी/P.R.BAGHEL Sc. 'G')

स्थानामन् मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Offg.Chief Executive (Airworthiness)